न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 13 / 2019

1 गोपाल पुत्र केशरमल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अर्जुनलाल पुत्र लिछमण जाति मीणा निवासी दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री निरंजन शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/1/2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.08.2012 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि अप्रार्थी अर्जुन मीणा को उसके विरूद्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.08.2012 की पूर्ण जानकारी होने के तथा उक्त आदेश के तहत प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद होने के आदेशों की स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थी अर्जुनलाल ने बराह बदनीयती जानबुझकर इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये वादग्रस्त भूमियां के मौके की स्थिति परिवर्तित करने की कुचेष्टा करता आ रहा है। इस आपराधिक कुचेष्टा के तहत उक्त अप्रार्थी द्वारा विवादित स्थल पर एक छान बना ली तथा एक पानी की होद, एक कमरा नाम 20 गुणा 10 फिट लम्बाई चौड़ाई का तैयार करवाने लगा तब सर्वप्रथम उसे प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा मना किया गया तो वह नही माना तब प्रार्थी ने एक आवेदन विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ को इस न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करवाने बाबत का दिनांक 13.06.2019 को पेश किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दिनांक 14.06.201 को पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका देखा गया जिसकी रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा जानबुझकर न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुये वादग्रस्त भूमि के मौके को परिवर्तित करने का आपराधिक कृत्य किया है। थाना पुलिस दांतारामगढ़ द्वारा भी अप्रार्थी व उसके परिजनों को इस सम्बंध में जरिये इस्तगासा पाबंद किया गया इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा न्यायिक आदेशों की अवमानना करने का अपराध किया गया है। उक्त मौका निरीक्षण के समय भी पटवारी व अभिलेख निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी को इस न्यायालय के आदेशों की अवमानना न करने हेतु पूर्ण रूप से अवगत करवाया गया था परन्तु नही मानने पर भी पुनः दिनांक 05.07.2019 को एक आवेदन प्रार्थी आवेदक के भाई अपीलांट सूरजमल द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 01.08.2019 को पुनः पटवारी द्वारा मौका देखकर मौके पर ही अप्रार्थी को पाबन्द करने का मेमों तैयार किकया गया था जिस पर अप्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी व अन्य रेस्पोडेंट न्यायिक आदेशों की अवमानना करने के आदी व्यक्ति है। इससे पूर्व भी इस न्यायालय का यह स्थगन आदेश दिनांक 23.08.2012 जारी होने के पश्चात वादग्रस्त भूमियों में जानबुझकर मुर्गी फार्म हेतु निर्माण किया था जिसकी शिकायत भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2013 को श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष की गई थी जिसमें मौका पटवारी ने देखकर मौका रिपोर्ट दिनांक 23.05.2019 को तैयार की इससे भी अप्रार्थी व अन्य रेस्पोडेंट्स द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना व अवहेलना करना पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। इस कारण से न्यायालय के आदेशों के विरूद्व जाकर किया गया निर्माण कार्य ध्वस्त किया जाकर हटाया जाना आवश्यक हो गया है। इससे इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को दण्डित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि अप्रार्थी अर्जुन को इस न्यायालय के स्थगन की जानकारी होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एस. एच.ओ. दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 107,116 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। इन सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। अवमानना आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अर्जुन को इस न्यायालय के स्थगन की जानकारी होने का कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एस.एच.ओ. दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 107,116 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। इन सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/14 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर